दिनांक 04.03.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये।

पत्रावली आज वास्ते विरचन वाद बिन्दु नियत है।

पक्षकारों द्वारा किसी भी सुलह–समझौता से इन्कार किया गया।

अतः पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत वाद में निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं :–

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर स्वयं को हिबा जुबानी दि0 10.10.2015 इकरारी प्रतिवादीगण के आधार पर विवादित आवासीय भूमि दो किता स्थित ग्राम हर्षवाड़ा, पर0 व तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर, जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है, का मालिक व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है ? यदि हॉ तो प्रभाव ?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?
3. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा किसी अन्य वाद बिन्दु के विरचन पर बल नहीं दिया गया और न ही पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर अन्य कोई वाद बिन्दु बनता है।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं02 व 3 दिनांक 01.04.2022 को पेश हो।

(अखिल कुमार निझावन)
सिविल जज (जू0.डि.)
नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
यू.पी. 03212